दक्षिण मध्य रेलवे

संरक्षा.**387/**फ्लाई लीफ**/03/2025**

फ्लाई लीफ सं. 03 / 2025

गिट्टी विभागीय सामग्री गाड़ियों (डीएमटी) के लदान, उतराई और परिवहन के लिए संशोधित संयुक्त कार्यविधि आदेश

(संदर्भ : रेलवे बोर्ड का दि.19.12.2004 का पत्र सं.2023/सीई II/सेफ्टी/इंस्ट्रक्शन्स)
(संदर्भ : मुचस्टॉइंजी/मालभाडा/दमरे, मुविलोइंजी/दमरे,मुमायाप्र/दमरे और मुरेपइंजी/दमरे का दि.13/18.03.2025 का संयुक्त कार्यविधि आदेश सं.2/2025)

सं..डब्ल्यू.506/जनरल/ट्रैक/ब्लास्ट लोडिंग-अनलोडिंग/जेपीओ/2025 दि./ Date: 13/18.03.2025.

यह संशोधित जेपीओ रेलवे बोर्ड के दि.19.12.2024 के पत्र सं.2023/सीई-II/सेफ्टी/ इंस्ट्रक्शन्स के संदर्भ में विभागीय माल गाड़ियों के पटरी से उतरने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए जारी किया गया है.

गिट्टी वाली गाड़ियों का पटरी से उतरना मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से होता है :

i. गिट्टी की उतराई के दौरान अतिरिक्त गिट्टी/ढेर, से चलती गाड़ी की पटरियों में बाधा उत्पन्न होना
ii. पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग्स, लेवल क्रॉसिंग्स आदि स्थानों पर रनिंग रेल और चेक रेल के बीच गिट्टी.
iii. मालडिब्बों की आंशिक उतराई के कारण असमान लदान.
iv. ब्लॉक के दौरान गिट्टी डीएमटी की बैकिंग करते समय गेज फेस साइड की ओर क्लियर फ्लैंज वे क्लियरेंस सुनिश्चित किए बिना.

1. सामान्य :

i. साधारण व सहायक नियम अध्याय IV, साधारण नियम संख्या 4.62, 4.63, और 4.64 में दिए गए सभी प्रासंगिक नियम और माल गाडियों के संचालन से संबंधित प्रासंगिक सहायक नियम और आईआरपीडब्ल्यूएम-2020 के पैरा 806 (आई) का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना है.
ii. वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर/सहायक मंडल इंजीनियर को गिट्टी हॉपर मालडिब्बों के लदान/उतराई के लिए जिम्मेदार रेलपथ कर्मचारियों को परामर्श देना चाहिए. डीएमटी कार्य के लिए केवल पर्याप्त अनुभव वाले ट्रैकमैन को ही नियुक्त किया जाना चाहिए.
iii. यदि गिट्टी को अनुबंधित एजेंसी द्वारा उतारा जाता है, तो सुनिश्चित करें कि ठेकेदार का पर्यवेक्षक अधिकृत फोटो पहचान पत्र के साथ उपलब्ध हो. ठेकेदार के पर्यवेक्षक/कर्मचारियों को गिट्टी की गाड़ी पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और लदान/उतराई के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में उचित परामर्श दिया जाना चाहिए.
iv. चिकित्सा/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए लंबित कर्मचारियों को डीएमटी कार्य हेतु नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए.
v. ब्लॉक वर्किंग के लिए जाने से पहले उचित योजना और तैयारी सुनिश्चित करें तथा उतराई के लिए जाने से पहले पर्याप्त ब्लॉक सुनिश्चित करें.
vi. मालडिब्बों में कोई भी खराबी, जो सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, उसे डीएमटी (विभागीय सामग्री गाड़ियों) के कार्य के दौरान इंजीनियरी विभाग के अधिकारियों द्वारा तत्काल ध्यान में लाने के लिए सी एंड डब्ल्यू विभाग अर्थात् नियंत्रण और बेस डिपो के ध्यान में लाया जाना चाहिए.

2. वसेइंजी/(रेलपथ), गाड़ी प्रबंधक/लोको पायलट के कर्तव्य:

i. उतराई का पर्यवेक्षण करने वाले संबंधित वसेइंजी/कइंजी/रेलपथ गिट्टी गाड़ी के उतराई संचालन के कुशल संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे.
ii. गार्ड और लोको पायलट को गिट्टी डीएमटी के कार्य के लिए साधारण व सहायक नियम के पैरा संख्या 15.09 में अंतर्विष्ट अनुदेशों का पालन करना होगा.

iii. सेक्शन के रेलपथ इंजीनियर, जो कनिष्ठ इंजीनियर/रेलपथ के पद से नीचे का न हो, निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:
   a. गिट्टी की सुरक्षित उतराई का पर्यवेक्षण करना.
   b. उतराई किए गए गिट्टी को क्लियर करना, ताकि गिट्टी मानक चल आयामों का उल्लंघन न करे.

iv. गिट्टी गाड़ी का लोको पायलट सतर्क रहेगा तथा लोको ड्राइविंग कैब में उपलब्ध रेलपथ इंजीनियर के अनुदेशों का पालन करेगा, जो गिट्टी की उतराई के समय सेक्शन के रेलपथ इंजीनियर/गार्ड से मिलने वाले सिगनलों पर लगातार नजर रखेगा तथा गाड़ी के पीछे से या अन्यथा दिए गए सिगनलों का पालन करेगा..

v. उतराई करते समय गाड़ी के पूरे परिचालन के दौरान गाड़ी प्रबंधक द्वारा निरंतर आगे बढ़ने का हथ सिगनल दिखाया जाएगा.

vi. इंजन के रिवर्सल के दौरान, रेलपथ कर्माचारियों द्वारा पूरी संरचना के ब्रेक रिलीज किए जाने चाहिए.

3. लदान के लिए गिट्टी डिपो में भेजने से पहले रेक की जांच:

i. माल गाड़ियों के सभी गिट्टी मालडिब्बों/स्लीपर कैरियर मालडिब्बों के लिए नामित आधार डिपो होना चाहिए और नामित डिपो का नाम इन मालडिब्बों पर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए.

ii. इन गाड़ियों को महीने में कम से कम एक बार बेस डिपो में जांच के लिए लाया जाना चाहिए, जहां निर्धारित रखरखाव अनुदेशों के अनुसार उनकी गहन जांच की जाएगी.

iii. सभी गिट्टी मालडिब्बों के डोर ऑपरेटिंग मेकानिज़म उचित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए ताकि दरवाजों का सुचारू और परेशानी मुक्त संचालन सुनिश्चित किया जा सके.

iv. बीपीसी जारी करते समय रेक को खाली हालत में जांच के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए, गाड़ी जांच कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दरवाजे काम करने की स्थिति में हैं और दरवाजे की फिटिंग और गियर बरकरार है. सभी दरवाजे ठीक से बंद होने चाहिए. बीपीसी को हाथ से या "**हॉपर के सभी अनलोडिंग गियर को लुब्रिकेट किया गया है, जांच की गई है और दरवाजे काम करने की स्थिति में पाए गए हैं**" के स्टाम्प के साथ स्पष्ट रूप से समर्थन किया जाना चाहिए."

v. इन गाड़ियों की आरंभिक ब्रेक शक्ति 90% से कम नहीं होनी चाहिए.डीएमटी के लिए बीपीसी की वैधता 30 दिन है.

vi. गाड़ी परीक्षण डिपो में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/कनिष्ठ इंजीनियर/रेलपथ रेक को अपने कब्जे में लेंगे और जांच करेंगे कि लदान पॉइंट पर किसी भी समस्या से बचने के लिए सभी उतराई गियर काम करने की स्थिति में हैं या नहीं. दोनों वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर द्वारा संयुक्त नोट तैयार किया जाएगा.

vii. वसेइंजी/सी एंड डब्ल्यू रेक के रखरखाव के लिए आवश्यक फिटिंग का स्टॉक रखेंगे. वसेइंजी/कइंजी/रेलपथ तब तक रेक में उपलब्ध फिटिंग के लिए जिम्मेदार होंगे, जब तक रेक उनके प्रभार में है. जब बीपीसी की समाप्ति के बाद रेक को गाड़ी परीक्षण जांच के लिए भेजा जाता है, तो गायब फिटिंग की सूची वसेइंजी/सी एंड डब्ल्यू और वसेइंजी/कइंजी (रेलपथ) के बीच कार्यभार ग्रहण करने के समय तैयार किए गए पिछले संयुक्त नोट के अनुसार तैयार की जाएगी.

viii. बीपीसी केवल दमरे के क्षेत्राधिकार में रेकों की आवाजाही के लिए वैध है.

ix. गिट्टी डिपो के वसेइंजी/रेलपथ प्रभारी की यह जिम्मेदारी है कि वह बीपीसी की समाप्ति से पहले रेक को खाली हालत में बेस डिपो तक पहुंचाए, ताकि अमान्य बीपीसी के साथ इन गाड़ियों को चलाने से पूरी तरह बचा जा सके.

x. लदान/उतराई के बाद, डीएमटी के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए टीएमएलपी जांच की जानी चाहिए.

4. डिपो में गिट्टी की प्री-लोडिंग:

i. गिट्टी डिपो के वसेइंजी/रेलपथ प्रभारी को प्रत्येक फेरे के लदान से पहले गिट्टी डिपो में बीओबीवाईएन रेक के सभी मालडिब्बों में डोर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की ऑयलिंग और ग्रीसिंग सुनिश्चित करनी चाहिए और लॉग बुक के रूप में उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए. सेक्शन के मंडल इंजिनियर और वरिष्ठ मंडल इंजीनियर को गिट्टी डिपो में अपने निरीक्षण के दौरान लॉग बुक की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका उचित रखरखाव किया गया है.

ii. गिट्टी के लदान के लिए रेक को आगे बढ़ाने से पहले सभी मालडिब्बों के डोर ऑपरेशन की जांच की जानी चाहिए.

iii. खराब दरवाजे वाले मालडिब्बे को लदान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा उस पर स्पष्ट रूप से "लदान नहीं किया जाना चाहिए" अंकित किया जाना चाहिए तथा इसकी सूचना मरम्मत के लिए सी एंड डब्ल्यू नियंत्रण को दी जानी चाहिए.

iv. खराब मालडिब्बे की जांच की जानी चाहिए और सी एंड डब्ल्यू कर्मचारियों द्वारा उसकी मरम्मत की जानी चाहिए. यदि मरम्मत करना संभव न हो, तो इसे मरम्मत के लिए बेस डिपो में बुक किया जाना चाहिए.

v. वसेइंजी/रेलपथ/गिट्टी डिपो के प्रभारी निम्नलिखित प्रारूप में लॉग बुक बनाए रखेंगे, जिसमें रेक लदान करने से पहले पाई गई कमियों को दर्ज किया जाना चाहिए:

जांच की तारीख	पाई गई कमियां				निरीक्षण पदाधिकारियों की कोई अन्य टिप्पणी	निरीक्षण पदाधिकारियों के हस्ताक्षर
	बीओबीवाईएन की संख्या,जिनमें दरवाज़े बुरी तरह से जाम हो गए हैं और उन्हें खोला नहीं जा सका	बीओबीवाईएन की संख्या, जिसमें दरवाज़े बंद होने पर भी गैप देखा जाता है	बीओबीवाईएन की संख्या, जिसमें दरवाजा खोलने वाली असेंबली बहुत तंग है और सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है और दरवाजे बहुत अधिक अतिरिक्त प्रयास के साथ खुलते हैं	बीओबीवाईएन की संख्या, जिसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग का काम किया गया है और दरवाज़े के हैंडलों का फ्री मूवमेंट हो		
1	2	3	4	5	6	7

vi. यदि गिट्टी के लदान के लिए खाली रेक लगाने के बाद कोई आंशिक रूप से लदान न किया हुआ मालडिब्बा दिखाई देता है,तो खराब दरवाजों के लिए मालडिब्बा/मालडिब्बों की जांच की जानी चाहिए.

vii. यदि बची हुई गिट्टी खराब दरवाजों के कारण है, तो गिट्टी की गुणवत्ता को मापा जाना चाहिए और गिट्टी डिपो के वसेइंजी/रेलपथ प्रभारी द्वारा भविष्य की तारीख में गिट्टी के समायोजन/लेखा के लिए अलग से रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए. खराब दरवाजे वाले मालडिब्बों को आगे लादा नहीं जाएगा.

viii. गिट्टी का लदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी हॉपर में असमान लदान न हो.

ix. ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने से पहले, दरवाजों के खुलने की जांच की जानी चाहिए और यदि किसी भी बीओबीवाईएन के दरवाजे ठीक से नहीं खुल रहे हैं, तो उस मालडिब्बे से उतराई नहीं की जानी चाहिए और अगले दिन डिपो में इस कार्य के लिए सी एंड डब्ल्यू कर्मचारी को बुक किया जाना चाहिए.

x. जब रेक बीपीसी जारी करने के लिए जाए तो कमियों की सूची गाड़ी परीक्षक को सौंप दी जानी चाहिए.

5. डिपो से गिट्टी डीएमटी के प्रस्थान से पहले की जाने वाली कार्रवाई:

गिट्टी डिपो के प्रभारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीओबीवाईएन लादे गए हैं और बीओबीवाईएन की वहन क्षमता के आधार पर पूर्व-निर्धारित पेंट मार्क तक समतल किया गया है.

6. ब्लॉक से पहले गिट्टी डीएमटी के प्रस्थान से पहले की जाने वाली कार्रवाई:

i. जब रेक पहुंचेगा, तो संबंधित वसेइंजी/कइंजी (रेलपथ) द्वारा जाम हुए दरवाजों/दोषपूर्ण डोर ओपनिंग मेकानिजम की जांच की जाएगी. यदि दरवाजा खोलने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं, तो दोषपूर्ण/जाम हुए दरवाजों वाले ऐसे सभी मालडिब्बों की सूचना स्टेशन मास्टर/नियंत्रण के माध्यम से सी एंड डब्ल्यू नियंत्रण को दी जाएगी.

ii. यदि मालडिब्बे की साइट पर मरम्मत नहीं की जा सकती है, तो मालडिब्बे को “उतराई के लिए उपयुक्त नहीं” के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए. ऐसे मालडिब्बो को तदनुसार अलग करने की योजना बनाई जानी चाहिए और संबंधित स्टेशन मास्टर द्वारा आवश्यक मरम्मत के लिए सी एंड डब्ल्यू डिपो को भेजा जाना चाहिए.

iii. गिट्टी गाड़ी के साथ योग्य इंजीनियरी पदाधिकारी प्रभारी होना चाहिए, जो कइंजी (रेलपथ) के पद से नीचे का न हो और एक कुशल लोहार भी आवश्यक औजारों के साथ होना चाहिए. उसे डीएमटी के कामकाज से संबंधित नियमों और विनियमों से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए. प्रभारी पदाधिकारी के पास उस सटीक स्थान का विवरण होना चाहिए जहां पर गिट्टी उतारी जानी है, जिसे वसेइंजी/रेलपथ या सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया हो. वसेइंजी/कइंजी/रेलपथ द्वारा टीपी के अनुसार गिट्टी हॉपर उतारने की उचित योजना पहले से ही बना ली जानी चाहिए और ड्राइवरों को सटीक आवश्यक स्थानों पर रुकने के लिए स्पष्ट सिगनल दिखाए जाने चाहिए.

iv. गिट्टी डीएमटी की उतराई के दौरान वसेइंजी/कइंजी/रेलपथ हमेशा उपलब्ध होना चाहिए. वसेइंजी/कइंजी को उतराई पूरी होने के बाद साइट पर रहना चाहिए और ट्रैक से गिट्टी के ढेर को हटाना चाहिए, जो डीएमटी की आवाजाही में बाधा डालते हैं तथा खाली हॉपर मालडिब्बों के दरवाजे बंद करना सुनिश्चित करना चाहिए.

v. गिट्टी डीएमटी की उतराई के दौरान पर्याप्त प्रशिक्षित/सक्षम अनुभवी श्रमिक उपलब्ध कराए जाएंगे.

vi. यदि किसी हॉपर पर असमान भार है, तो गिट्टी गाड़ी को उतराई के लिए सेक्शन में नहीं ले जाना चाहिए. असमान रूप से लादे गए मालडिब्बे को सेक्शन में ले जाने से पहले समायोजित किया जाना चाहिए.

vii. सुनिश्चित करें कि संरक्षा उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा बक्से पर्यवेक्षक के पास उपलब्ध हैं और अच्छी कार्यशील स्थिति में तथा अद्यतन स्थिति में हैं.

viii. यदि गिट्टी लादने/डीएमटी के संचलन के बाद दरवाजों का काम न करने का पता चले, तो कर्मचारियों द्वारा मरम्मत करवाने की व्यवस्था करने के लिए सी एंड डब्ल्यू नियंत्रण को सूचना दी जानी चाहिए.

ix. कर्मचारियों की आवश्यकता :

  a. 02 वसेइंजी/कइंजी/(रेलपथ) हमेशा गिट्टी डीएमटी की उतराई के दौरान उपलब्ध होने चाहिए. गिट्टी उतराई के बाद वसेइंजी/कइंजी (रेलपथ) को साइट पर रहना चाहिए ताकि उतराई की गई गिट्टी से ट्रैक और एस एंड टी गियर का क्लियरेंस सुनिश्चित किया जा सके.
  b. पर्याप्त संख्या में (न्यूनतम 12-15) श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए.
  c. दरवाजे के फ्लैप के जाम हुए गियर, यदि कोई हो, की सम्हलाई के लिए एक लोहार भी गिट्टी डीएमटी के साथ आएगा.

7. वसेइंजी/कइंजी (रेलपथ) द्वारा गिट्टी डीएमटी उतराई के दौरान की जाने वाली कार्रवाई:

i. उतराई का काम सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन के समय में किया जाना चाहिए.

ii. प्लेटफ़ॉर्म लाइनों पर गिट्टी की सीधी उतराई नहीं की जानी चाहिए. गिट्टी को पहले आस-पास की गैर-प्लेटफ़ॉर्म लाइनों पर चरणों में उतारा जा सकता है और फिर प्लेटफ़ॉर्म लाइनों पर ले जाया जा सकता है.

iii. गिट्टी की उतराई के समय डीएमटी को 8 से 10 किमीप्रघंटा से ज़्यादा की रफ़्तार से नहीं चलाया जाना चाहिए. साथ ही, डीएमटी को सिर्फ़ एक दिशा में ही चलाया जाना चाहिए और फ़्लैंज वे को क्लियर किए बिना पीछे धकेलने की अनुमति नहीं है.

iv. साधारण नियम 15.09 और आईआरपीडब्ल्यूएम पैरा 806 के अनुसार गिट्टी गाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.

v. जब गिट्टी गाड़ी चल रही हो, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी दरवाजे धीरे-धीरे खोले जाएं ताकि गिट्टी का अचानक रिसाव और असमान फैलाव न हो. मोड़ों पर, भीतरी दरवाजे को इस प्रकार समायोजित किया जाना चाहिए कि ट्रैक के दोनों ओर आवश्यक मात्रा में उतराई सुनिश्चित हो सके.

vi. हॉपर से गिट्टी उतारते समय, पॉइंट और ज़िंग ज़ोन में सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि चेक रेल तथा टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच का गैप क्लियर रहे. (पॉइंट रॉड के बीच गिट्टी को गिरने से बचाने के लिए पॉइंट की मोटरों को किसी लकड़ी/एमएस शीट से ढक दिया जाना चाहिए).

vii. उतराई की प्रक्रिया के दौरान डीएमटी को नहीं रोका जाना चाहिए. यदि उतराई के दौरान गिट्टी गाड़ी रुक गई है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गाड़ी को आरंभ करने से पहले रेल की ऊपरी सतह और फ़्लैंज से गिट्टी को हटा दिया जाता है.

viii. सभी टीएलजेबी (ट्रैक लेड जंक्शन बॉक्स) को गिट्टी से क्लियर रखा जाना चाहिए. ओएचई मास्ट को गिट्टी से क्लियर रखा जाना चाहिए ताकि यह जांच की जा सके कि रेल के साथ मास्ट का संबंध बरकरार है या नहीं.

ix. यदि किसी कारण से एक तरफ का दरवाजा नहीं खोला जा सके तो विपरीत दिशा का दरवाजा भी बंद कर देना चाहिए ताकि असमान उतराई से बचा जा सके.

x. उतराई के समय खराब दृश्यता के कारण, यदि लोको पायलट और गाड़ी प्रबंधक / वसेइंजी/ कइंजी/ रेलपथ के बीच सिगनल का आदान-प्रदान करना मुश्किल हो जाता है, तो डीएमटी के उचित और सुरक्षित कामकाज के लिए लोको पायलट और गाड़ी प्रबंधक / वसेइंजी/ कइंजी/ रेलपथ को वॉकी-टॉकी सेट उपलब्ध कराए जाने चाहिए. ड्राइवर और गार्ड / वसेइंजी/ कइंजी / रेलपथ के बीच सिगनल का आदान-प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में रेलपथ कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाने चाहिए.

xi. जिन मालडिब्बों को लोहार की मदद से भी नहीं खोला या की उतराई नहीं की जा सकती है, ऐसे खाली मालडिब्बों के साथ खाली रेक को गाड़ी परीक्षक द्वारा दरवाजा खोलने के लिए निकटतम यार्ड/स्टेबलिंग लाइनों पर ले जाया जाएगा. ऐसे उतराई न किए गए मालडिब्बों के साथ खाली रेक को गाड़ी परीक्षक द्वारा दरवाजे की मरम्मत करवाने के लिए निकटतम यार्ड / स्टेबलिंग लाइनों पर ले जाया जाएगा. खराब दरवाजों की मरम्मत के बाद, इन मालडिब्बों से गिट्टी की सुविधाजनक स्थानों पर उतराई की जाएगी, गिट्टी का हिसाब रखा जाएगा और खाली रेक को लदान डिपो भेज दिया जाएगा. यदि गलती से उतराई असमान रूप से हो जाए, तो उन रेकों को टर्नआउट के माध्यम से लूप लाइन पर नहीं ले जाना चाहिए तथा ऐसे मालडिब्बो को सभी एहतियाती उपायों के साथ सीमित गति से मोड़ पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए..

8. वसेइंजी/कइंजी (रेलपथ) द्वारा गिट्टी डीएमटी की उतराई के बाद की जाने वाली कार्रवाई:

i. गिट्टी की उतराई के बाद यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मालडिब्बे में कोई भी गिट्टी शेष न रह गयी हो. यदि अगली ब्लॉक अवधि के दौरान उतराई के लिए मालडिब्बे में कोई गिट्टी रह जाती है, तो मालडिब्बे में ऐसी गिट्टी को ओएचई लाइनों का ध्यान रखते हुए मैन्युअल रूप से समतल किया जाएगा और डीएमटी को गति प्रतिबंध के साथ निकटतम स्टेशन पर ले जाना होगा, जैसा कि आवश्यक समझा जाएगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि गति 10 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए.

ii. एसईजे को उतराई के बाद स्टोन गिट्टी से क्लियर किया जाना चाहिए.

iii. सुनिश्चित करें कि गिट्टी के ढेर को उचित तरीके से क्लियर किया जाए, ताकि उतराई के बाद सिगनल रॉड, गियर और लॉक बार को जाम होने से बचाया जा सके.

iv. सुनिश्चित करें कि गाड़ी से उतराई की गई गिट्टी को चलती हुई दिशा से दूर रखा जाए. यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त एसआर लगाया जा सकता है.

v. वसेइंजी/कइंजी/रेलपथ, जो डीएमटी के पदाधिकारी प्रभारी हैं, साइट छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टॉक रेल, टंग रेल, चेक रेल और क्रॉसिंग के नोज़ आदि के बीच असावधानी से कोई भी पत्थर न रह जाए.

vi. घुमावदार रास्तों पर चलती रेल और चेक रेल के बीच गिरी गिट्टी और ब्लॉक को क्लियर करने से पहले समपार फाटकों को अनिवार्यतः क्लियर किया जाना चाहिए.

vii. गिट्टी के ढेर से पहिये की गति में बाधा नहीं आनी चाहिए.

viii. गिट्टी की उतराई के ब्लॉक को क्लियर करने के लिए स्टेशन मास्टर को ज्ञापन देते समय, कार्य की देखरेख करने वाले वसेइंजी/कइंजी (रेलपथ) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चलती आयाम का कोई उल्लंघन नहीं है अर्थात् उतराई की गई गिट्टी आयामों की अनुसूची (एसओडी) का उल्लंघन नहीं करती है और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी इंजीनियरी और एस एंड टी गियर/स्थापनाएं किसी भी अवरोध से मुक्त हों, जो गिट्टी की उतराई के कारण उत्पन्न हुआ हो.

ix. सभी सावधानियों के बावजूद यह संभावना है कि कुछ गिट्टी गाड़ी के फुटबोर्ड से टकरा सकती है, जिससे धूल आदि उड़ सकती है. इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि पहली गाड़ी के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रतिबंध लगाया जाए जो उस हिस्से से गुज़रती है जहाँ गिट्टी की उतराई की गई थी. सतर्कता आदेश में उस स्थान को दर्शाया जाना चाहिए जहाँ गिट्टी की उतराई की गई थी और यह भी कि अस्थायी इंजीनियरी संकेतक बोर्ड को साइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए.

x. वसेइंजी/कइंजी (रेलपथ)/मेट गैंग के साथ साइट पर गैप में खड़े रहेंगे और पहली गाड़ी गुजरने तक पूरी उतराई की लंबाई को कवर करेंगे. बिना यह सुनिश्चित किए कि गाड़ी के रनिंग गियर से उतराई की गई गिट्टी क्लियर की गई है, ट्रैक फिट प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए.

xi. प्रत्येक उतराई के बाद, गिट्टी डिपो के वसेइंजी/रेलपथ प्रभारी को डोर ऑपरेटिंग मेकानिज़म के गियर पहियों से गिट्टी की धूल को साफ करना सुनिश्चित करना चाहिए और फिर डोर ऑपरेटिंग मेकानिज़म में ऑयलिंग और ग्रीसिंग करनी चाहिए.

xii. गिट्टी की पूरी उतराई सुनिश्चित करने के लिए, गिट्टी हॉपर (बीओबीवाईएन रेक) की उतराई के बाद हॉपर दरवाजे कार्यशील स्थिति में होने चाहिए, उतराई का पर्यवेक्षण करने वाले वसेइंजी/कइंजी (रेलपथ) को भी उतराई का विवरण रजिस्टर में निम्नलिखित सारणीबद्ध रूप में अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा.

हॉपर की संख्या			
खाली प्राप्त हुए	आंशिक रूप से की गई उतराई	पूरी तरह की गई उतराई	कुल

9. (i) बीओबीवाईएन मालडिब्बों से संबंधित यांत्रिक कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड के यांत्रिक निदेशालय द्वारा दिनांक 08.11.2004 के पत्र सं. 2005/एम/204/3 (ई-3346728) के अंतर्गत जारी और परिपत्रित "बीओबीवाईएन मालडिब्बों में डोर ओपनिंग मेकानिज़म के रखरखाव के लिए तकनीकी दिशा-निर्देशों" से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए.

(ii) इस संयुक्त कार्यविधि आदेश की एक प्रति फील्ड में गिट्टी डीएमटी की सम्हलाई करने वाले पर्यवेक्षकों और मंडलों के इंजीनियरी नियंत्रण के पास उपलब्ध कराई जानी चाहिए. मंडल इंजीनियरी नियंत्रण को भी गिट्टी डीएमटी को संभालने वाले पर्यवेक्षकों के संपर्क में रहना चाहिए और उन्हें समय-समय पर संयुक्त कार्यविधि आदेश के विभिन्न प्रावधानों के बारे में याद दिलाते रहना चाहिए. इंजीनियरी नियंत्रण द्वारा देखी गई किसी भी विसंगति को तुरंत शाखा अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए.

ह -/-	ह -/-	ह -/-	ह -/-
मुचस्टॉइंजी	मुविलोइंजी	मुमायाप्र	मुरेपइंजी

***

संरक्षा संगठन **दक्षिण मध्य रेलवे**